

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ कार्यालय जयपुर में दैनिक वाद सूची (Daily Cause List) प्रकाशन हेतु अनुभववी प्रिंटर्स से मुहरबंद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। एक वर्ष में लगभग 210 कार्यदिवस की दैनिक वाद सूची तैयार की जानी है। एक दिन में लगभग एक लाख पेपर पर काँज लिस्ट तैयार की जानी है जो कि पेपर के दोनों तरफ मुद्रित होनी है। निविदा का विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें तथा टेण्डर फार्म विभागीय रोकडिया से दिनांक 07.07.2011 से 23.07.2011 तक कार्यालय समय 10.30 से 4.30 बजे तक 100/- रुपये नगद जमा करा कर या रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के नाम 100/- रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदाएं रजिस्ट्रार प्रशासन के कार्यालय में दिनांक 24.07.2011 को प्रातः 11.00 बजे तक जमा करायी जा सकेगी जो उसी दिन प्रातः 11.30 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा दाता को अनुमानित लागत रुपये 50.00 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से 2% अर्नेस्ट मनी की राशि 1,00,000/- (एक लाख रुपये) का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा के साथ रजिस्ट्रार प्रशासन राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के नाम देना होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। रजिस्ट्रार (प्रशासन) को किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का या निविदा की तिथियों में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

21-17/2011
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
REGISTRAR (ADMN.)
RAJASTHAN HIGH COURT BENCH,
JAIPUR

Tender conditions for Printing press matter

निविदा की शर्तें

निविदा-दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदा भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखकर पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ लौटावें ।

1. निविदाएँ मुहर बंद लिफाफे में भेजी जानी हैं ।
2. निविदा प्रपत्र के साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र, पैन नम्बर, बिक्रीकर, पंजीयन नम्बर एवं चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये ।
3. निविदा प्रपत्र स्याही वाले पैन द्वारा भरा जावे या टंकित होना चाहिये तथा दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना काँट छांट के स्पष्ट रूप के अंकित की जानी चाहिए।
4. निविदा में प्रिन्टिंग की दरें 52 GSM व्हाईट पेपर पर A-4 size में प्रति हजार पेपर दोनो तरफ मुद्रण की दी जाये तथा पेपर का नमूना भी संलग्न करें।
5. दरें गन्तव्य स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिये तथा सभी कर एवं लागते यथा श्रम, पेपर, स्याही आदि समाहित होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ कार्यालय द्वारा मात्र कॉजलिस्ट की टाईपशुदा सी.डी. ही उपलब्ध करवायी जावेगी। इसके अलावा अन्य मद में कोई सामान, सुविधा अथवा कार्य के लिये किसी राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा
6. निविदाएँ खोली जाने की दिनांक से तीन माह तक निविदा की दरें स्वीकृत की जा सकेगी, उसके बाद स्वतः ही निरस्त हो जावेगी ।
7. निविदादाता अपनी स्वीकृत दरों पर कॉजलिस्ट प्रिन्टिंग के कार्य को अथवा उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा । (सबलेट नहीं करेगा)
8. यदि कॉजलिस्ट की प्रिन्टिंग एवं आपूर्ति उच्च न्यायालय प्रशासन की संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है अथवा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता को अवसर दिया जा सकेगा।
9. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी ।
10. आदेश जारी किये जाने के बाद कॉजलिस्ट की सुपुर्दगी प्रतिदिन निर्धारित समय पर करनी होगी। कॉजलिस्ट की सुपुर्दगी समय पर नहीं करने पर प्रति दिवस 25000/- रुपये की Penalty दण्डस्वरूप वसूल की जावेगी। साथ ही कॉजलिस्ट तैयार करने का खर्च वसूल किया जावेगा तथा अमानत राशि भी जब्त करली जावेगी।
11. यदि क्रेता अधिकारी कॉजलिस्ट प्रिन्ट नहीं करवाता है या निविदा सूचना में निर्दिष्ट मात्रा से कम कार्य करवाया जाता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकारी नहीं होगा ।
12. निविदा के साथ निविदादाता को 2 % बयाना राशि रुपये 1,00,000/- लाख का का डी.डी. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के नाम से देय होगा ।
13. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी डिपोजिट रुपये 2,50,000/- जमा करानी होगी । बयाना राशि सिक्क्यूरिटी डिपोजिट में समायोजित कर ली जावेगी ।
14. यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकार करने से

पहले प्रस्ताव को वापिस लेता हैं, या रूपान्तरण करता है या विहित समय में करार निष्पादित नहीं करता हैं या निविदा स्वीकार करने के बाद सिक्कुरिटी राशि जमा नहीं कराता हैं या आदेशित सामग्री की आपूर्तिप्रदान करने में विफल रहता हैं तो बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी ।

15. क्रेता अधिकारी को बिना कारण बताये निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा ।
16. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी ।
17. क्रय समिति को कॉजलिस्ट की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्णय करने का पूर्ण अधिकार होगा। क्रय समिति न्यूनतम निविदादाता व अन्य निविदादाताओ को निगोशियेसशन के लिये आमंत्रित कर सकती है। इसके बावजूद भी दरें अनुकूल नहीं पाये जाने पर अथवा सामग्री वॉछित गुणवत्ता की न होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। जिसके लिए निविदादाता कोई दावा नहीं करेगा।
18. दैनिक एवं वीकली कॉजलिस्ट की सी.डी./ बटर पेपर डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा एक दिन पूर्व सांयकाल 5 से 6 बजे के मध्य दी जावेगी जिसके अनुरूप निर्धारित संख्या में कॉजलिस्ट की प्रतियाँ तैयार कर अगले दिन सुबह 10.00 बजे तक राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ के कॉजलिस्ट अनुभाग में मशीन मैन को सुपुर्द करनी होगी ।
 - (अ) सप्लीमेन्ट्री कॉजलिस्ट उसी दिन सांयकाल 5.00 बजे से 6.00 बजे के मध्य डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा सी.डी. के रूप में उपलब्ध करायी जावेगी जो रात्रि 10.00 बजे तक अर्थात् सी.डी. उपलब्ध कराने के 4 घंटे के भीतर निर्धारित संख्या में मुद्रित कर मशीन मैन को सुपुर्द करनी होगी।
 - (ब) मशीन मैन कॉजलिस्ट प्रतियाँ गिनकर रसीद देगा। बिना रसीद के आपूर्ति का तथ्य सही नहीं माना जावेगा।
19. निविदादाता इस तरह के कार्य के लिए वॉछित अनुभव, अपने सैट अप एवं अपने प्रतिष्ठान में उपलब्ध संसाधनों का विवरण संलग्न करेगा । निविदादाता अपने सैट अप में किये गये कार्य के नमूने भी संलग्न करेगा। माननीय क्रय समिति या उसके प्रतिनिधि निविदादाता की कार्य क्षमता का निरीक्षण कर तदानुसार निर्णय करने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।
20. वित्त वर्ष 2011-12 में सम्पूर्ण वर्ष कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबंध की अवधि वर्ष दर वर्ष, तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
21. माननीय क्रय समिति एक या एक से अधिक निविदादाताओं से सम्पूर्ण अथवा एक-एक दिन बारी-बारी से सम्पूर्ण वर्ष तक रोस्टर में कार्य करवाने का निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होगी।
22. माननीय क्रय समिति कार्य की प्रकृति को देखते हुए सभी निविदादाताओं को एक साथ वार्ता एवं निगोसियेशन के लिए बुलवाने के लिए स्वतन्त्र होगी।
23. सफल निविदादाता / निविदादाताओं को प्रथम सात दिन तक ट्रायल बेसिस पर कार्य करना होगा। कार्य संतोषजनक होने पर ही कार्यादेश की पुष्टि की जावेगी।
24. बिल महिने की एक तारीख को प्रस्तुत किया जावेगा जिसके साथ सम्पूर्ण माह की सत्यापित रसीदें संलग्न की जावेगी। जिसमें प्रति दिन कॉजलिस्ट में पृष्ठ तथा प्रतियाँ एवं कुल पृष्ठ अंकित होंगे।

संगलक " खा "

कार्यालय :- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर ।

- 1- विषय
के लिए निविदाओं उन वस्तुओं का नाम लिखिए जिनके लिए निविदा पेश किये गये हैं ।
- 2- निविदा देने वाली फर्म का नाम एवं पूरा पता :-

- 3- पते पर भेजा गया :- -----
- 4- संदर्भ -----
- 5- निविदा का शुल्क ----- रुपये ----- कद-रसीद सं० ----- दिनांक ----- को जमा करा दिये गये हैं ।
- 6- हम ----- द्वारा जारी किये गये टेंडर नोटिस संख्या ----- दिनांक ----- वर्णित सभी शर्तों को तथा संलग्न कागजों में दी गयी उक्त निविदा कोर्ट की अग्रिम शर्तों को भी, जिनके कि सभी पृष्ठ पर हमने उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार करने के लिये हस्ताक्षर किये हैं मानने के लिए बाध्य हैं ।
- 7- ----- निविदा करने की दूरे लिखित है ।
- 8- फर्म आदेश के प्राप्त होने की आदेश संख्या भी अंकित करें । अवधि के भीतर ----- भेज दिया जायेगा ।
- 9- उपरोक्त अंकित दूरें ----- समय के लिए ही मान्य है । पारस्परिक समझौते के जरिये समझावधि बढ़ाई जा सकती है ।
- 10- ----- रुपये का ----- के पत्र में डाफ्ट डिजिट रसीद संख्या ----- दिनांक ----- एवं संबंधित परिमण्डल के आयकर अधिकारी का बुकती करने का प्रमाण पत्र एवं ऑरि त बिज्जी कर / वाणिज्य कर अधिकारी से बिज्जी कर बुकती प्रमाण-पत्र उसके साथ संलग्न किये गये हैं ।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

संलग्न :-

- 1- -----
- 2- -----
- 3- -----